कार्यालय आदेश

संख्याः सम्प0अनु0/भवन–4(ix)/2017/660 दिनांकः 28–06–2017

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की दिनांक 25–05–2017 को सम्पन्न बैठक के मद संख्या 24 में कार्यपरिषद् द्वारा नई आवास आवंटन नियमावली को अनुमोदन प्रदान किया गया है। कार्यपरिषद् के अनुमोदन के उपरान्त आवास आवंटन नियमावली की प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

कुलसचिव

पृ0सं0– सम्प0अनु0/भवन–4(ix)/2017/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परिसर निदेशक, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल/एस0एस0जे परिसर, अल्मोड़ा।
2. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3. सहायक लेखाधिकारी, डी0एस0बी0 परिसर नैनीताल/एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
4. वरिष्ठ सूचना बैज्ञानिक केन्द्रीय पुस्तकालय, कु0वि0वि0 नैनीताल।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक भवन, कु0वि0वि0, नैनीताल।
6. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी की सूचनार्थ।
7. विश्वविद्यालय वेव साइट।

कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल।

भवन आवंटन एंव वार्षिक मरम्मत नियमावली

1– भवन आवंटन नियमावली/विनियम का अर्थ।

2– भवन आवंटन समिति की परिभाषा ।

3– आवासों का वर्गीकरण।

4– आवास आवंटन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण।

5– आवासीय गृहों का आवंटन एंव निरस्तीकारण।

6– आवसीय गृहों का किराया निर्धारण एंव कटौतियॉ।

7– विश्वविद्यालय के आवसीय गृहों को नियमानुसार खाली न करने पर कार्यवाही।

8–आवासों की वार्षिक मरम्मत।

1– भवन आवंटन नियमावली/विनियम का अर्थ –

(क) भवन आवंटन नियमावली का अर्थ कुमाऊँ विश्वविद्यालय की भवन आवंटन नियमावली से है, यह नियमावली/विनियम भवन आवंटन नियमावली कहलाई जायेगी।

(ख) यह नियमावली कुमाऊँ विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में समान रुप से लागू होगी।

(ग) यह नियमावली विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा पारित अनुमोदन/प्रशासनिक निर्णय की तिथि से लागू/प्रवर्तन मानी जायेगी।

(घ) भवन आवंटन नियमावली में परिवर्तन :–यदि आवास आवंटन नियमावली में संशोधन किया जाना आवश्यक हो तो भवन आवंटन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार किया जायेगा।

2– भवन आवंटन समिति की परिभाषा ।

(क) भवन आवंटन समिति का अर्थ कुमाऊँ विश्वविद्यालय की भवन आवंटन समिति से है जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के भवनों/आवासों का आवंटन किया जायेगा।

(ख) भवन आवंटन समिति–

16.5.2017

(1) अध्यक्ष– अध्यक्ष का तात्पर्य भवन आवंटन समिति के अध्यक्ष से है। विश्वविद्यालय के Estste and Works अनुभाग के प्रोफेसर इन्चार्ज(पदेन) भवन आवंटन समिति के अध्यक्ष होंगें।

(2) संयोजक– संयोजक का तात्पर्य भवन आवंटन समिति के संयोजक से है। विश्वविद्यालय के सहायक अभियन्ता समिति के संयोजक होंगे।

(3) सह संयोजक–सह संयोजक का तात्पर्य भवन आवंटन भवन आवंटन समिति के सह संयोजक से है। विश्वविद्यालय के सहायक सम्पत्ति अधिकारी समिति के सह संयोजक होंगे।

(4) सदस्य– सदस्य का तात्पर्य, भवन आवंटन समिति सदस्य से है। विश्वविद्यालय के परिसरों के परिसर निदेशक विश्वविद्यालय के शिक्षकों एंव शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समस्त संगठनों के पदेन पदाधिकारी (अध्यक्ष/सचिव) समिति के सदस्य होंगे।

(ग) भवन आवंटन समिति की बैठक का आयोजन समिति के अध्यक्ष द्वारा विशेष परिस्थितियों/आवश्यकतानुसार कुलपति जी की अनुमति से कभी भी बुलाई जा सकती है।

3– आवासों का वर्गीकरण।

(क) कुमाऊँ विश्वविद्यालय के नैनीताल स्थित आवासों का वर्गीकारण–

(1) केग काटेज स्थित बंगला– कुलपति आवास।

(2) स्लीपी होलो स्थित बंगला सं0–4(बी)– कुलसचिव आवास।

(3) स्लीपी होलो स्थित बंगला सं0–2(ए)– वित्त अधिकारी।

(4) स्लीपी होलो स्थित बंगला सं0–1(ए एंव बी), 2(बी), 3(ए एंव बी), 4(ए),5(ए एंव बी),6(ए), 7(ए), 8(बी) 9(बी)– प्रोफेसर एंव एसोसियेट प्रोफेसर आवास।

(5) परवैक लाज स्थित आवास– प्रोफेसर एंव एसोसियेट प्रोफेसर आवास।

(6) रु–काटेज स्थित आवास– प्रोफेसर एंव एसोसियेट प्रोफेसर आवास।

(7) गैलवे हाऊस स्थित आवास– असिस्टैंट प्रोफेसर आवास।

(8) स्लीपी होलो परिसर में न्यू स्टाफ क्वार्टर स्थित आवास– असिस्टैंट प्रोफेसर, उपकुसचिव, सहायक कुलसचिव, तथा समकक्ष वेतनमान के अन्य अधिकारीगण।

19.5.2017

(9) स्लीपी होलो परिसर स्थित **स्टाफ** क्वॉटर, केग काटेज, कृष्णापुर महल, स्लीपी होलो परिसर एंव एवर फायल स्थित निर्मित टाईप–2 के आवास– तृतीय श्रेणी कर्मचारी आवास।

(10) विश्वविद्यालय के विभिन्न आवासीय परिसरों या विभागीय भवनों से लगे आऊट हाऊस या अस्थाई रुप से निर्मित आवास व टाईप–1 के आवास– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवास।

(11) स्लीपी होलो परिसर स्थित बैचुलर साईन्टिसट गेस्ट हाऊस– बैचुलर अतिथि शिक्षक।

(12) विश्वविद्यालय में समय–समय पर श्रेणीवार निर्मित किये जाने वाले आवास– उपर्युक्त श्रेणी के पात्र कर्मचारीगण, अधिकारीगण एंव शिक्षकगण।

(ख) एस0एस0जे0परिसर, अल्मोडा स्थित आवासों का वर्गीकरण–

(1) परिसर में निर्मित टाईप–4 के आवास– असिस्टैट प्रोफेसर एंव एसोसियेट प्रोफेसर आवास।

(2) परिसर में निर्मित टाईप–2 के आवास– तृतीय श्रेणी कर्मचारी आवास।

(3) परिसर में निर्मित टाईप–3 के आवास– टाईप–3 के आवास के पात्र अधिकारीगण।

4– आवास आवंटन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण ।

आवास आवंटन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर किया जायेगा यदि आवास आवंटन हेतु प्रतिक्षारत शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण होता है तो सम्बन्धित की वरिष्ठता कार्यभार ग्रहण करने या आवेदन के अनुसार विश्वविद्यालय के अन्य स्थनान्तरित स्थल पर भी यथावत रहेगी।

5– आवासीय गृहों का आवंटन/आवंटन निरस्तीकरण

(क) विश्वविद्यालय में आवास रिक्त होने पर श्रेणीवार आवास आवंटन हेतू इच्छुक कर्मचारियों/ अधिकारियों/ शिक्षकों से आवेदन आमन्त्रित किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जायेगी तद्नुसार भवन आवंटन समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरुप वरिष्ठता क्रम से आवास आवंटित किये जायेगें। यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी /शिक्षक किन्ही कारणों से रिक्त आवास हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवास आवंटन हेतु आवेदन नही करता ऐसी स्थिति में भविष्य में रिक्त होने वाले आवासों के आवंटन हेतु भी उनकी वरिष्ठता यथावत बनी रहेगी।

(ख) आवास हेतु अर्ह शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास रिक्त होने ही पर पद के अनुरुप श्रेणीवार आवास आवंटित किये जायेंगे।

(ग) आवास गृहों का आवंटन आवास प्रतीक्षा सूची से आवास खाली होने पर क्रमानुसार किया जायेगा। आऊट सोर्सिंग/संविदा कर्मियों को विश्वविद्यालय का आवास किसी भी दशा में आवंटित नही किया जायेगा।

19.5.2017

(घ) विश्वविद्यालय में आवास आवंटन में शासनादेशानुसार आरक्षण लागू किया जायेगा।

(ड़) किसी भी आवंटी को विश्वविद्यालय का आवंटित आवास को किसी भी अन्य व्यक्ति को Subletting करने का अधिकार नही होगा। उक्त के सदंर्भ में यदि किसी आवंटी के विरुद्व शिकायत सही पायी जाती है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

(च) यदि कोई आवंटी अपना आवंटित आवास छोडना चाहे तो इसकी सूचना 30 दिन पूर्व विश्वविद्यालय को देगा।

(छ) एक बार आवास आवंटित होने पर आवास का पुनर्आवंटन किसी भी दशा में नही किया जायेगा

(ज) यदि कोई कर्मचारी/शिक्षक/ अधिकारी अपनी स्वेच्छा से अपने पद से निचले श्रेणी का आवास लेता है तो ऐसे कर्मचारी/शिक्षक/ अधिकारी का भविष्य में पद के अनुरुप आवास का दावा मान्य नही होगा, ऐसे कर्मचारी को अपने पद के अनुरुप आवास आवंटन चाहने हेतु अपनी श्रेणी में आवास आवंटन प्रतीक्षा सूची में आवेदन करना होगा तदुपरांत कमानुसार आवास आवंटित किया जायेगा।

(झ) यदि कोई कर्मचारी/शिक्षक/ अधिकारी अपने पद के अनुरुप आवास की मॉग करता है तो उसको पद के अनुसार उस श्रेणी में आवास आवंटन हेतु आवेदन करना होगा तदनुसार आवास वरीयता कम से सम्बन्धित कर्मचारी/शिक्षक/अधिकारी को पद के अनुरुप आवास खाली होने पर आवास आवंटित किया जायेगा।

(ण) यदि कोई आवंटी अपने आवासीय परिसर में अभद्र व्यवहार या अन्य किन्ही कारणों से जॉच के उपरान्त दोषी पाया जाता है तो विश्वविद्यालय को उसका आवंटन निरस्त कर तत्काल आवास खाली कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

(त) कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा/विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार एक वर्ष के लिये नितान्त अस्थाई रुप से उनकी श्रेणी के आवास में निवास की अनुमति दी जा सकती है परन्तु समय विस्तारण किसी भी स्थिति में मान्य नही होगी। निर्धारित अवधि के उपरान्त निवासित कर्मचारी/शिक्षक/अधिकारी को आवास रिक्त करना होगा।

6– आवसीय गृहों का किराया निर्धारण एंव कटौतियॉ।

(क) आवास का निर्धारित किराया आवंटी के वेतन से प्रतिमाह कटौती किया जायेगा एंव आवंटी को मकान किरया भत्ता देय नही होगा।

(ख) आवास के बिजली व पानी के बिलों का भुगतान आवंटी को स्वंय करना होगा।

7– नियमानुसार खाली न करने पर किराये की वसूली एंव विधिक कार्यवाही।

15.5.2017

(क) विभाग से बाहर प्रतिनियुक्त तथा बाहय् सेवा पर जाने वाले विभागीय कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक या यदि कोई विभागीय कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक जिसे आवास पहले से आवंटित है विभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति तथा बाहय् सेवा पर चला जाता है तो ऐसे कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक को प्रतिनियुक्ति अथवा वाहय् सेवा हेतु नियमानुसार स्वीकृत अवधि तक आवंटित आवास के मानक किराये का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त ऐसे आवंटी को आवास रिक्त खाली करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त आवास रिक्त न करने पर ऐसे आवंटी के विरुद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ख) सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु अथवा पदच्चयुत होने पर पदाधिकारी/ उसका परिवार जैसी भी स्थिति हो आवंटित आवास में निम्नलिखित नियमों के अर्न्तगत निवास कर सकता है :–

1. सेवानिवृत्त होने पर आवंटी अथवा उसका परिवार जैसी भी स्थिति हो आवास में सेवामुक्त होने की तिथि से अधिकतम छः माह तक आवंटित आवास में **पीनल काराये** पर निवास कर सकता है।

2. आवंटी की मृत्यु होने पर उसका परिवार जैसी भी स्थिति हो आवास में सेवामुक्त होने की तिथि से अधिकत एक वर्ष तक आवंटित आवास में **पीनल काराये** पर निवास कर सकता है।

3. त्यागपत्र, बरखस्तगी अथवा सेवा से हटाये जाने की दशा में आवंटी व उसका परिवार जैसी भी स्थिति हो त्यागपत्र, बरखस्तगी अथवा सेवा से हटाये जाने की तिथि से अधिकतम एक माह तक आवंटित आवास में आवास में निवास कर सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त ऐसे आवंटी को आवास रिक्त खाली करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त आवास रिक्त न करने पर ऐसे आवंटी के विरुद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि सेवानिवृत्त आवंटी या आवंटी की मृत्यु होने पर आवंटी अथवा उसके परिवार जैसी भी हो को आवंटित आवास में निवास हेतु पैरा 01 व 02 में नियत अवधि के लिये नियोक्ता से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि आवास में निवास की अनुमति प्राप्त नही की जाती अथवा स्वीकृति नही दी जाती है तो कब्जा अनाधिकृत होगा और पदाधिकारी अथवा उसके परिवार जैसी भी स्थिति हो के विरुद्व विधिक कार्यवाही की जायेगी।

टिप्पणी :–पीनल किराये का अर्थ प्रथम माह आवास का निर्धारित किराया तदुपरान्त उपर्युक्त बिन्दु–7 के (ख) के पैरा 2 एंव 3 में उल्लिखित समय अवधि तक आवास के निर्धारित किराये के तीन गुणा होगा।

(ग) ऐसे सेवारत कर्मचारीगण/ अधिकारीगण /शिक्षकगण जिनको सरकारी आवास आवंटित है का आवास में अध्यासन किसी प्रकार से अनाधिकृत हो जाता है तब ऐसे अनाधिकृत अध्यासी को नोटिस दिया जायेगा कि वह 15 दिन के भीतर आवास को रिक्त करे अन्यथा उसके विरुद्ध यथास्थिति अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 441 में परिभाषित आपराधिक अतिचार के अपराध हेतु प्रथम सूचना रिर्पोट थाने में दर्ज करायी जायेगी, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के अधीन कार्यवाही एंव दण्डनीय किराये को उनकी सम्पत्ति से वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।यदि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के बाद भी कोई आवास रिक्त नही किया जाता तब ऐसा अनाधिकृत अध्यासी सरकारी सेवा मे है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक

15.5.2017

एंव निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 441 में परिभाषित आपराधिक अतिचार के अपराध हेतु प्रथम सूचना रिर्पोट थाने में दर्ज करायी जायेगी,। इसी प्रकार सेवानिवृत्त अध्यासियों का अध्यासन अनाधिकृत हो जाने पर उनके सेवानिवृत्त लाभों में से एंव रिकवरी एक्ट के अधीन उनकी सम्पत्ति को विक्रय कर दण्डनीय किराया वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी साथ ही उक्तानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी जायेगी।– **(उर्पयुक्त पैरा– मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं0 4064/2004 एस0डी0 बांदी बनाम सब डिविजनल स्टेट आफिसर में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अद्ध0शा0 पत्र सं0 728/XXXII/2007 दिनांक 07 सितम्बर 2007 से लिया गया है)।**

8– **आवासों की वार्षिक मरम्मत।**

(1) आवासों की वार्षिक मरम्त धन के उपलब्ध होने पर आवंटी के प्रार्थना पत्र की वरीयता एंव प्राथमिकता के आधार पर करवाया जायेगा।

(2) आवासों में रंगाई, पुताई का कार्य विश्वविद्यालय की अनुरक्षण मद में धन उपलब्ध होने पर तीन वर्ष में एक बार करवायी जायेगी।

(3) आवासों में परिवर्तन एंव परिवर्धन किसी भी दशा में नही किया जायेगा। यदि किसी आवंटी द्वारा आवंटित आवास में किसी प्रकार का फेरबदल किया जाता है तो ऐसे आवंटी का आवंटन निरस्त किया जायेगा तथा आवंटी के विरुद्व अनुसानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

14.5.2007